भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 322
02 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

अत्यधिक मछली पकड़ना

322. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल तटरेखा पर सार्डिन संसाधनों में आई चिंताजनक गिरावट की जानकारी है, जैसा कि केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किया गया है;

(ख) क्या अत्यधिक मछली पकड़ने, अवयस्क मछलियों को मारने, जलवायु-प्रेरित समुद्री सतह के तापमान में परिवर्तन और अवैध पर्स सीन मछली पकड़ने के जाल से मछलियां पकड़ने के कारण स्टॉक में तीव्र कमी आई है;

(ग) सरकार द्वारा अत्यधिक मछली पकड़ने के प्रयास को विनियमित करने के लिए जाल - आकार मानदंडों का प्रवर्तन, निर्दिष्ट अवधि के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, नौकाओं की निगरानी और तट के निकट संचालित कई फेरे लगाने वाली उच्च-क्षमता युक्त नौकाओं पर प्रतिबंध सहित क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का केरल जैसे तटीय राज्यों के सहयोग से सार्डिन स्टॉक - पुनर्निर्माण की एक व्यापक योजना का विचार है;

(ङ) क्या सार्डिन की घटती उपलब्धता के कारण आय में अत्यधिक कमी का सामना कर रहे पारंपरिक मछुआरों को वित्तीय सहायता, वैकल्पिक आजीविका पैकेज और समुदाय आधारित मत्स्य प्रबंधन प्रणालियाँ प्रदान की जा रही हैं; और

(च) इस महत्वपूर्ण समुद्री मत्स्यपालन में स्थायी स्टॉक स्तर को कब तक बहाल किया जाएगा?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): केरल सरकार और ICAR- सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट (CMFRI) ने सूचित किया है कि केरल तट पर इंडियन ऑयल सार्डिन की लैंडिंग में आवधिक अंतर-वार्षिक उतार-चढ़ाव देखा गया है, 2011 में लैंडिंग 3.2 लाख टन से बढ़कर 2012 में 3.99 लाख टन हो गई थी, तत्पश्चात 2020 में इसमें भारी गिरावट आई और यह 0.13 लाख टन रह गई । इसके बाद, स्टॉक में रिकवरी के स्पष्ट संकेत दिखे, जो 2021 में बढ़कर 0.35 लाख टन से अधिक, 2023 में 1.4 लाख टन और 2024 में 1.5 लाख टन हो गया । वैज्ञानिक मूल्यांकन से पता चलता है कि इंडियन ऑयल सार्डिन की आबादी पर मानसून से होने वाली बारिश और इससे होने वाले पोषक तत्वों से भरपूर उपरिवेशन (अपवेलिंग) का गहरा प्रभाव पड़ता है, जो फाइटोप्लांकटोन के विकास में मदद करता है और लार्वा के जीवित रहने, बढ़ने और बहाली में सुधार करता है। इंडियन ऑयल सार्डिन फिशरी को पर्यावरण और जलवायु संबंधी परिवर्तनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील माना जाता है अत: प्रति वर्ष लैंडिंग में समय-समय पर उतार-चढ़ाव देखा जाता है। जैसा कि ICAR-CMFRI द्वारा प्रकाशित मरीन फिश स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट (2023) में उल्लिखित है, भारत के एक्सक्लूसिव एकोनोमिक ज़ोन (EEZ) में ऑयल सार्डिन फिशरी को अभी सस्टेनेबल माना गया है।

(ग): मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने सस्टेनेबल फिशिंग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके संबंधित मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट (MFRAs) के तहत गियर और जाल के आकार के नियमों के सख्त कार्यान्वयन, तथा मत्स्य स्टॉक की बहाली के लिए भारत के एक्सक्लूसिव एकोनोमिक ज़ोन (EEZ) में 61 दिनों के लिए मत्स्यन पर एक समान (यूनिफ़ोर्म) प्रतिबंध लगाने जैसे संरक्षण और प्रबंधन उपायों के क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी करता है। मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने EEZ में बुल या पेयर ट्रॉलिंग तथा मत्स्यन के लिए आर्टिफिशियल लाइट/एलईडी लाइट्स के उपयोग जैसी विनाशकारी मत्स्यन पद्धतियों पर प्रतिबंध लगाया है, और इसी तरह के प्रतिबंध तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके समुद्री क्षेत्र (टेरिटोरियल वाटर्स) में भी लगाए गए हैं। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने और मॉनिटरिंग, कंट्रोल और सरवेलेन्स के उपायों को सुदृढ़ करने के लिए PMMSY के तहत वेस्सल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम को भी लागू कर रहा है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने देश भर में ज़िम्मेदार और सस्टेनेबल फिशिंग के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज़ के रूप में 'नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज़ (NPMF), 2017' अधिसूचित की है। इसके अलावा, समुद्री कछुओं की सुरक्षा के लिए टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (TED) लगाने के लिए राज्य सरकारों ने अपने मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट्स में उचित उपबंध शामिल किए हैं। इसके अलावा, देश के तटीय क्षेत्रों में आर्टिफिशियल रीफ लगाने, सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सी-रेंचिंग, डीप सी फिशिंग तथा सीवीड कल्टीवेशन समेत समुद्री कृषि (मैरीकल्चर) को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत सहायता प्रदान की जाती है, ताकि तटवर्ती क्षेत्र में मत्स्यन के दबाव को कम किया जा सके। मत्स्यन प्रतिबंध के समय, सरकार पारंपरिक मछुआरों को आजीविका और पोषण सहायता के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

(घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को केरल सहित तटीय राज्यों से सार्डिन स्टॉक-पुनर्बहाली योजना पर ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ड़): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से केरल सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी के सर्वांगीण विकास और मछुआरों की भलाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विगत 5 वर्षों के दौरान, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित PMMSY के तहत, विभाग ने केरल सरकार के 1410.40 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। स्वीकृत गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ आजीविका को सुदृढ़ करने और वैकल्पिक रोजगार के सृजन के लिए मात्स्यिकी संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे (i) मैरीकल्चर, सीवीड फार्मिंग, बाइवाल्व कल्टीवेशन, (ii) क्लाइमेट रेसीलिएंट गांवों की स्थापना, (iii) आधुनिक एकीकृत तटीय गाँव,(iv) मत्स्यन प्रतिबंध के दौरान सहायता, (v) स्टॉक की पुनर्बहाली के लिए आर्टिफिशियल रीफ की स्थापना, (vi) आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण सुविधाएँ, (vii) डीप सी फिशिंग वेसल्स, (viii) सेफ्टी किट और कम्युनिकेशन डिवाइज़ आदि। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार भी मौसम और मत्स्यन प्रतिबंधों से प्रभावित पारंपरिक मछुआरों को राज्य स्तर पर लागू अतिरिक्त योजनाओं के माध्यम से सहायता कर रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य मछुआरों की आजीविका को बनाए रखना और मात्स्यिकी का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

(च): प्रश्न ही नहीं उठता।

*****